

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा

अनवान

धारी पि सुडा गट

बनाम लक्ष्मी लाल रायपुर

किस्म मुकदमा धारा 136

मु0न0 12/22 सन 2022 2023/26

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख जो इस हुकम की तामिल में जारी हुई
------------	-----------------------------------	--

6/5/22 प्रार्थी धारी पि सुडा गट निवासी कुबहेपुरा के द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि गाम नाहरी के साविक खिलानाम अरापी नं. 1132 मी. रकबा 2.10 बीघा मे से 0-10 बीघा एवं साविक नं. 1135 मी. रकबा 11-07 बीघाम से 1-03 बीघा भूमि पुरासन गांवो के संग अधिधान 2001 मे आवंटित इन्ही उक्त अधिधान आवरण के पश्चात पश्वारी हत्का द्वारा कब्जा देकर प्रार्थी के पक्ष मे नामान्तरकथा सं. 1724 दिनांक 03.01.2002 को दर्ज कर भूमि प्रार्थी के नाम गैर खातेदारी से दर्ज की गयी। नवीन भूपबंध के दौरान उक्त रबीकृत सुडा नामान्तर कथा का अमल मही कर रोक दिया गया। मौके पर वस्तुआ वणन से प्रार्थी का कब्जा है। नवीन भूपबंध के दौरान आवंटित भूमि के नवीन खसरा नं. 2759 रकबा 0-76 हे. मे से 0-25 हे. भूमि पर कब्जा है। प्रार्थी के ओफिसन पर तहसीलदार सपुत्र से रिवोर्ट ली गयी जिसमे प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र से सही ज्ञाने नं. 2759 रकबा 0-25 हे. भूमि



Handwritten signature or mark

पर कब्जा कर लिया गया और पार्सी
के नाम भूमि दर्ज करने की रिपोर्ट
प्राप्त की गयी जो शामिल पत्रावली
है

पार्सी द्वारा प्राप्त पार्सीना पत्र
में वर्णित तथ्यों पर तहसीलदार
राधपुर द्वारा उचित अन्य रिपोर्ट
एवं पत्रावली में उपलब्ध साबिक
व हालत राजानव रिपोर्ट का अन्वेषण
करने से पाया कि ग्राम नाहरीक
साबिक जमावरी सित्त 20~~49~~ से
2052 के खा.सं. 1 में स्वीकृत नमा
सं. 1724 निर्णय दि. 09.01.2002
के अनुसार पार्सी के नाम भूमि
आवरण का इन्फाल किया गया है
किन्तु आगामी शेखराम में भूमि
पार्सी के नाम पर दर्ज नहीं हुई
और उनी पारान नवीन भूप्रबंध
होने से पार्सी को आवरित भूमि
के नवीन खसरा नं. 2759 दर्ज
हुआ और इसी आशली नं. में
पार्सी का वर्तमान में 0.25 हेक्. भूमि
पर कब्जा है कब्जे को लेकर
माके पर कोई विवाद नहीं है
पार्सी को भूमि आवरण हुए 20 वर्ष
का समय हो चुका है ऐसी स्थिति
में पार्सी को आवरित भूमि में से
पार्सी का वर्तमान में जितना शकवा
कब्जे में है कोशत में है उसको

(Signature)

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख जो
इस हुक्म की
तामिल में जारी हुई

राजस्व रेकर्ड में पार्सी के नाम पर
दर्ज किया जाना अन्यायपूर्ण है।

आदेश

पार्सी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र
स्वीकार किया जाकर आदेश दिया
जाता है कि राम शाहरी केसवि
आ.नं. 1132 व 1135 में आवंटित
भूमि जिनके नवीन भू खंभे में नवीन
आ.नं. 2759 खम्बा 0-76 हेक्.
में से 0-25 हेक्. भूमि जो खापर
करीम के रूप में दर्ज है पार्सी
श्री धारणी पि. सुब्बा आर मि. सुब्बा
के नाम में शर्तकारी रूप से दर्ज
की जावे। पालनार्थ तहसीलदार
शाहपुर को लिखा जावे। पत्रावली
फैशल इमारत लेफ्ट नंबर से
कम है।

Anus
06/05/2022
सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर (भीलवाडा).

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी:—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर—12/2022 (2022/264) प्रार्थना पत्र
अनवान

1—घासी पिता सुण्डा जाट निवासी दुल्हेपुरा (नाहरी) तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थी

बनाम

1—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा


विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

प्रेषित :-तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा इन्द्राज दुरस्ती बाबत्

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर आदेश दिया है कि ग्राम नाहरी के साबिक आराजी संख्या 1132 व 1135 में आवंटित भूमि जिनके नवीन भू प्रबन्ध के नवीन आराजी संख्या 2759 रकबा 0.76 है 0 मे से 0.25 है 0 भूमि जो छापर कदीम के रूप दर्ज है प्रार्थी घासी पिता सुण्डा जाट निवासी दुल्हेपुरा के नाम गैर खातेदारी हक से दर्ज की जावे। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को लिखा जावे।

हुक्मनामा आज दिनांक 06.05.2022 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया।


06/05/2022
(सुन्दर लाल बम्बोडा)

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा
रायपुर भीलवाड़ा